



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक—जे०एन०सी०य०० / सा०प्र० / ७३०१ / २०२४

दिनांक: १५ अक्टूबर, २०२४

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

०१. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
०२. प्राचार्य / प्राचार्या,
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय:—मिशन शक्ति फेज—५ के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग की कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रम कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग—३, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या: २५४७ / सत्तर-३-२०२४, दिनांक: ०४ अक्टूबर, २०२४(संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ९० दिवसीय मिशन शक्ति फेज—५ के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग की कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रम कराये जाने अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र में वर्णित उच्च शिक्षा विभाग हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा के आधार पर ९० दिवसीय मिशन शक्ति फेज—५ के अन्तर्गत यथानिर्देशित कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करें तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित फोटो एवं वीडियो विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सूचना संकलित करते तदनुसार शासन को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(एस०एल० पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

१. माननीय कुलपति जी।
२. अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक— राष्ट्रीय सेवा योजना को उपरोक्तानुक्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
३. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव, राज्य/निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- डिग्री विकास/स0नि0 / 12 / 2024-25 दिनांक-04/10/2024

विषय:- मिशन शक्ति फेज़-५ के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के अनुसार कार्यक्रम कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0 2547/सत्तर-3-2024 दिनांक 04/10/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मिशन शक्ति फेज़-५ के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग की कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रम कराये जाने के संबंध में है।

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय में किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करायें।

क्रम सं0	नोडल अधिकारी का नाम	पदनाम	मो0नि0	ई-मेल
----------	---------------------	-------	--------	-------

उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उच्च शिक्षा विभाग की कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रम संपन्न कराये जायें तथा निम्नांकित प्रारूप में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की बेस्ट मिशन शक्ति फेज़-५ एकिटविटी की एक्शन फोटोज़ सेल्फ स्पीकिंग फोटोज़ के साथ शार्ट राइटअप/डिस्क्रिप्शन विभाग के नामित नोडल अधिकारी को Email- dhemissionshakti@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम	एकिटविटी	उद्देश्य/लक्ष्य	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक	उपलब्धियाँ
----------------------------------	----------	-----------------	------------------------	--------	------------

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

डॉ० (अजीत कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा)
/नोडल अधिकारी 'मिशन शक्ति'

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या-डिग्री विकास/स0नि0/ उसी तिथि का।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-३ उ०प्र०, शासन लखनऊ

2-तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वेबसाइट पर अपलोड करायें।

डॉ० (अजीत कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा)
/नोडल अधिकारी 'मिशन शक्ति'
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-२५४७/सत्तर-३-२०२४
लखनऊ: दिनांक: ०५ अक्टूबर, 2024

विशेष सचिव,
गृह (पुलिस), अनुभाग-15,
उ०प्र० शासन

अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 03.10.2024 में उच्च शिक्षा विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजना में कतिपय बिन्दुओं को सम्मिलित कर संशोधित कार्ययोजना तैयार कर उक्त कार्ययोजना पर प्रमुख सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त करते हुए गृह (पुलिस) अनुभाग-15, उ०प्र० शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2— इस सम्बन्ध में संशोधित कार्ययोजना संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक—यथोक्त।

(एस०पी० मिश्र)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज, कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र० एवं विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक/नोडल अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्ययोजना में उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुये उसकी सूचना समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2— डॉ० अजीत कुमार सिंह, सहायक निदेशक/नोडल अधिकारी, मिशन शक्ति को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धितों को निर्देशित करते हुये कार्ययोजना का अनुपालन कराते हुये अनुपालन आख्या सम्बन्धितों को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एस०पी० मिश्र)
उप सचिव।

मिशन शक्ति फेज-5 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग की कार्ययोजना

- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला सशक्तीकरण से संबंधित काव्य पाठ, स्लोगन निर्माण, निबंध, गीत एवं नुक़ुफ़ नाटक का आयोजन किया जाना।
- नवरात्रि के नौ दिनों पर आधारित माँ दुर्गा के अलग-अलग नौ रूपों पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- भारत की वीरांगनाओं के जीवन चरित्र पर आधारित व्याख्यान एवं नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में जागरूक किया जाना।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में माह में एक दिन महिला स्वास्थ्य परीक्षक काउंसलर की उपस्थिति में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित काउन्सलिंग की व्यवस्था किया जाना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के कैरियर एवं कौशल विकास हेतु कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना।
- छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यस्थल महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने सम्बन्धी अवांछनीय व्यवहारों प्रति जागरूक किया जाना।
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में छात्राओं की शिकायतों के निवारण हेतु "शक्ति केन्द्र" का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना। छात्राओं की प्रत्येक शिकायत का रजिस्टर में पंजीकृत किया जाना तथा अधिकतम एक सप्ताह में निस्तारित किया जाना।
- प्रत्येक विश्वविद्यालय स्तर पर एक मिशन शक्ति नोडल नामित किया जाना (नाम, मोबाइल नंबर, ई मेल)
- महिलाओं की सुरक्षा सम्बन्धी हेल्प लाइन नंबर्स जैसे-112, 1090, 108 को वालराइटिंग के माध्यम से संस्थाओं में प्रदर्शित किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में विधि विभाग तथा जिला स्तरीय समितियों से समन्वय करते हुये व्याख्यान/काउन्सलिंग कराया जाय।
- विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय के मिशन शक्ति नोडल अधिकारी से प्रतिदिन सूचना/रिपोर्ट प्राप्त कर (गृह विभाग) के कन्सालिडेटेड पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- मिशन शक्ति (फेज-5) की मॉनीटरिंग तथा असिस्मेन्ट हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा आई०आई०एम० लखनऊ को नामित किया गया है, जो प्रत्येक विभाग के प्रमुख सचिव के साथ प्रेषित कार्ययोजना के सापेक्ष समयान्तर्गत समीक्षा की जायेगी।
- उपलब्धि प्राप्त महिलाएं जो अपने-अपने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य किया हो उनके व्याख्यान/कार्यशाला कराया जाय।
- छात्र/छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मिशन शक्ति सम्बन्धित शीर्षक पर प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय।
- उच्च शिक्षा विभाग में मिशन शक्ति के प्रत्येक कार्यक्रम में विशेष रूप से छात्र (मेल स्टूडेन्ट्स) को जागरूक (सेन्सेटाइज) कराना सुनिश्चित किया जाय।
- मिशन शक्ति (फेज-5) के अन्तर्गत आत्मसुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण (जूडो कराटे, ताइक्वॉडो इत्यादि) आयोजित किया जाय।
- सोशल मीडिया के इनफ्लूइसर्स जैसे-यूट्यूब इत्यादि द्वारा मिशन शक्ति (फेज-5) के कन्टेन्ट्स/सर्कसेस स्टोरी को नियमित रूप से पोस्ट कराया जाय।

 किसी भी मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित करने के पूर्व वेस लाइन सर्वे करने के उपरान्त निम्नांकित फॉर्मेट में एक्सएल शीट में रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे।

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	एकटीविटी	उद्देश्य/लक्ष्य	प्रतिभागियों की संख्या	दिनांक	उपलब्धियां
--------------------------------------	----------	-----------------	------------------------	--------	------------

(विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की बेस्ट मिशन शक्ति फेज-5 एकटीविटी की एक्शन फोटोज/सेल्फ स्पीकिंग फोटोज के साथ शार्ट राइटअप/डिसक्रिप्शन विभाग के नामित नोडल को प्रेषित किया जाय)